I परिप्रेक्ष्य

विश्व भर में, और भारत में भी, बैंकिंग और गैर-बैंकिंग क्षेत्रों ने नीतिगत उपायों के सहारे, कोविड-19 से जुड़े व्यवधानों का अच्छी तरह से सामना किया है। जैसे-जैसे आर्थिक वृद्धि में गति आएगी एवं नीतिगत कार्रवाइयों को वापस लिया जाएगा, बैंकों की बैलेंस शीटों पर महामारी का प्रभाव और स्पष्ट होगा। जलवायु परिवर्तन और तकनीकी नवोन्मेष इस क्षेत्र के लिए मध्यावधि चुनौतियां हैं जिनको दूर करने के लिए सुविचारित रणनीतियों की आवश्यकता होगी।

I.1 विश्व भर में, महामारी की पूरी अवधि में, केंद्रीय बैंकों और सरकारों की ओर से नीतिगत स्तर पर असाधारण प्रयासों का साथ पाकर बैंकिंग क्षेत्र आघात सहने में सक्षम बना रहा। उच्चतर पूँजी, बेहतर चलनिधि बफ़र और कम लीवरेज से उनको महामारी का आघात सहने के लिए एक आवरण मिल गया। ऋण किस्तों के भुगतान पर अधिस्थगन, आस्ति वर्गीकरण विराम एवं डिविडेंड भुगतान पर प्रतिबंधों जैसी कार्रवाइयों ने दबाव को कम किया और साथ ही, उत्पादक क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराते रहने में बैंकों की सहायता की।

I.2 विभिन्न क्षेत्रों में जैसे-जैसे टीकाकरण अभियानों ने जोर पकड़ा और आर्थिक गतिविधि, कुछ हिचकिचाहट के साथ, बेहतरी की ओर लौटने लगी, विनियामकीय ढील का समयबद्ध व सुचारु रूप से वापस लिया जाना वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हो गया। भारत में महामारी से जुड़ी अधिकांश कार्रवाइयों के लिए एक सुविनिर्दिष्ट सावधि विधि-खंड (सनसेट-क्लॉज़) था और इनमें से कुछ वर्ष के दौरान अपनी अवधि पूर्ण कर चुकी हैं। तथापि, बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य पर इन अल्पावधि कार्रवाईयों का प्रभाव तुरंत स्पष्ट नहीं है और समय बीतने पर ही इसका संपूर्ण आकलन हो सकता है।

I.3 महामारी और आर्थिक गतिविधि में सुस्ती का एक परिणाम यह है कि 2020-21 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि कम रही परंतु इस रिक्त स्थान को भरने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) आगे आई हैं। 2021-22 की पहली छमाही में, यद्यपि एससीबी की ऋण वृद्धि ने कुछ ऊपर का रुख़ दिखाया है, एनबीएफसी की आस्ति गुणवत्ता को लेकर चिंताएं उभरी हैं।

I.4 भारतीय रिज़र्व बैंक को, सरकार के साथ मिलकर, 2018 के बाद से दो निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी), एक बड़े सहकारी बैंक (यूसीबी) और कुछ एनबीएफसी के समाधान की रणनीतियां बनानी पड़ी। अंतिम ऋणदाता के रूप में, रिज़र्व बैंक का प्रयास जोख़िमों को फैलने से रोकना है ताकि वित्तीय स्थिरता बनी रहे, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हो और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि आगे चलकर ये समाधान नैतिक संकट की ओर न ले जाएं।

I.5 महामारी डिजीटल प्रौद्योगिकी की ओर ले गई है जहाँ वित्तीय क्षेत्र के लिए बहुमुखी अवसर हैं, जबकि विनियामकों व पर्यवेक्षकों समेत सभी हितधारकों के लिए साइबर-सुरक्षा/धोखाधड़ी को संभालने की कुछ चुनौतियां हैं। जलवायु परिवर्तन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण चिंता बनकर उभरा है जिसके दायरे में वित्तीय क्षेत्र सहित मानव जीवन के सभी पक्ष आ गए हैं।

I.6 इस पृष्ठभूमि में, यह अध्याय बैंकिंग और गैर-बैंकिंग क्षेत्रों के सम्मुख आई चुनौतियों पर एक विहंगम दृष्टि डालता है और विनियामक के लिए उपलब्ध नीतिगत विकल्पों के संबंध में एक भविष्योन्मुखी दृष्टि प्रस्तुत करता है।

कोविड–19 की छाया से बाहर आना

I.7 2020-21 में महामारीय लॉकडाउनों के कारण आपूर्ति कड़ियां ठप्प हुईं और आर्थिक एजेंटों द्वारा एहतियात के उद्देश्य से नकदी बचाने के कारण मांग घट गई। परिणामत:, जहाँ ऋण वृद्धि में तेज गिरावट आई वहीं जमाराशियां बढ़ीं। प्रतिफलों में गिरावट से आशा की किरण फूटी और बैंकों ने अपने ट्रेडिंग खाते में लाभ दर्ज किया। बाजारों ने आस्ति गुणवत्ता में भावी गिरावट

के अनुसार कीमतें निर्धारित की जिससे शेयरधारकों के धन व विश्वास पर आघात लगा तथा विशेषत: बैंकिंग स्टॉक्स पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यद्यपि, प्रतितथ्यकरण कठिन है, पर मुड़कर देखने से पता चलता है कि यदि सरकार और रिज़र्व बैंक ने समय पर कदम न उठाए होते तो अर्थव्यवस्था पर महामारी का प्रभाव कहीं अधिक पैना होता।

I.8 2021-22 के अब तक के उपलब्ध आँकड़े बताते हैं कि बैंकों की समग्र व निवल अनर्जक आस्तियां भी घटी हैं जबकि प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर), पूँजी बफ़र और लाभप्रदता सूचक भी महामारी के पहले की तुलना में बेहतर हुए हैं। तथापि कणीय आँकड़ों (ग्रेन्यूलर डेटा) को ध्यान से देखने से पता चलता है कि तस्वीर में और भी बारीकियां हैं। समग्र मांग पर महामारी की चोट और बैंकों की जोखिम विमुखता के कारण ऋण वृद्धि ठिठकी पड़ी है। आगे चलकर, बैंकों की आस्ति गुणवत्ता क्षतिग्रस्त हो सकती है।

I.9 रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित विनियामकीय निभावों में से अधिकांश की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है जिसमें निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) के कार्यान्वयन का स्थगन, बैंकों द्वारा डिविडेंड भुगतान पर प्रतिबंध, पूँजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के अंतिम अंश के कार्यान्वयन का स्थगन शामिल हैं। चूँकि महामारी की स्थिति गतिमान है, विनियामकीय प्रतिसाद उभरती स्थितियों के अनुसार नपा-तुला होगा।

दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान

I.10 कोविड-19 की दो लहरों के दौरान, रिज़र्व बैंक ने उधारकर्ताओं और और उधार देने वाली संस्थाओं को राहत देने के लिए समाधान संरचना (आरएफ) 1.0 और 2.0 की घोषणा की। आरएफ 1.0 के अंतर्गत बड़े उधार खातों की पुनर्रचना जहाँ 31 दिसंबर 2020 तक प्रारंभ (इन्वोक) और प्रारंभ के 180 दिनों के भीतर कार्यान्वित की जा सकती थी, परिचालनीय मानक प्राप्त करने के लिए उनको 30 सितंबर 2022 तक का समय दिया गया है। दूसरी ओर आरएफ 2.0 के अंतर्गत होने वाले समाधान व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों व एमएसएमई के मामले में 30 सितंबर 2021 के पहले प्रारंभ (इन्वोक) किए जा सकते थे और प्रारंभ (इन्वोकेशन) से 90 दिनों के भीतर समाधान योजना को कार्यान्वित किया जाना था। अवलंब जब हटने शुरू हो जाएंगे, कुछ पुनर्रचित खातों को आने वाली तिमाहियों में बैंकों द्वारा उच्चतर प्रावधानीकरण की आवश्यकता पड़ सकती है।

I.11 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत नई कार्यवाहियों पर निलंबन की अवधि के 24 मार्च 2021 को समाप्त होने के साथ, दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए लेनदार (क्रेडिटर्स) फिर से आईबीसी व्यवस्था का लाभ ले सकते हैं। आशा है कि इससे एमएसएमई को भी—परिचालनीय लेनदार के रूप में—अपने बकाया राशियों की वसूली का अधिकार मिलेगा।

I.12 आईबीसी अधिनियम में एक संशोधन के द्वारा एमएसएमई के लिए औपचारिक और अनौपचारिक तंत्र को मिलाकर एक प्री-पैक समाधान वातायन (रिज़ॉल्यूशन विंडो) उपलब्ध कराया गया है जिसमें कब्जेदार देनदार (डेटर-इन-पजेशन) वाले मॉडल को एक विकल्प के रूप में दिया गया है। कॉर्पोरेट देनदार के स्वीकृति आवेदन के दायर होने से पहले ही, देनदार और लेनदार बातचीत कर सकते हैं और संभावित समाधान योजना पर पहुँच सकते हैं। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) तक पहुँचने तक की प्रक्रिया इससे काफ़ी तेज और सरल हो गई है।

I.13 बैंकों से दबावग्रस्त ऋण को समेकित करने और उसे अपने हाथ में लेने के लिए राष्ट्रीय आस्ति पुनर्रचना कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) का गठन पहले से चली आ रही बड़ी मूल्य वाली आस्तियों के समाधान की दिशा में आगे बढ़ाया गया एक कदम है। तथापि, अंतरराष्ट्रीय अनुभव बताता है कि प्रयोग के सफल होने और अवांछित प्रोत्साहनों से बचने के लिए, बैंकों के तुलन पत्रों (बैलेंस शीट्स) के प्रति जोख़िमों की स्पष्ट पहचान हो; आस्तियों के विक्रय के लिए पारदर्शी अंतरण कीमत निर्धारण सुनिश्चित हो; और नई इकाई का प्रबंधन स्वतंत्र और पेशेवर हो।

कोविड-19 के बाद पुनर्पूँजीकरण आवश्यकताएं

I.14 पूँजी स्थिति के आधार पर, 30 सितंबर 2021 की स्थिति के अनुसार, सभी पीएसबी और पीवीबी ने पूँजी संरक्षण बफर (सीसीबी) 2.5 प्रतिशत के काफ़ी अधिक बनाए रखा। तथापि, आगे चलकर, उधारकर्ताओं द्वारा झेले जा रहे दबावों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की संभावित ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने की चुनौतियों से निपटने के लिए बैंकों को उच्चतर पूँजी आवरण की आवश्यकता होगी। समय पर पूँजी समावेश के लिए बैंकों द्वारा समन्वित रणनीति की आवश्यकता है।

जलवायु परिवर्तन

I.15 अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता पर जलवायु परिवर्तन के प्रणालीगत प्रभाव का आकलन अभी भी विकसित हो रहा है और इसी प्रकार दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों के प्रतिसाद भी।

I.16 यद्यपि जारी किए गए हरित बॉण्ड का मूल्य भारत में कुल बॉण्ड निर्गम का एक छोटा सा हिस्सा है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) के अनुमान के अनुसार 2012-2020 में संचयी उदीयमान बाजार ग्रीन बॉण्ड निर्गम में इसका स्थान द्वितीय है। अप्रैल 2021 में, रिज़र्व बैंक वित्तीय प्रणाली हरितकरण नेटवर्क (एनजीएफएस) से जुड़ा जो वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण और जलवायु जोख़िम प्रबंधन से जुड़े सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करने तथा इसमें योगदान देने को इच्छुक केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक समूह है। रिज़र्व बैंक ने एनजीएफएस की कार्यधाराओं में भाग लेना शुरू कर दिया है, जिससे इसके स्टाफ को जलवायु संबंधी जोखिमों पर आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त होगा।

I.17 रिज़र्व बैंक विभिन्न समष्टि-आर्थिक चरों जैसे मुद्रास्फीति व वृद्धि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और हरित वित्त जैसे विषयों पर सक्रियता से अनुसंधान में लगा हुआ है। यह आगे के शोध की आवश्यकता वाले संभावनामय क्षेत्रों, पद्धतिपरक चुनौतियों, और डेटा संबंधी चुनौतियों को संभालने की तरकीबों पर चर्चा के विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों में हिस्सा लेता है। रिज़र्व बैंक भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीवाश्म ईंधन की बड़ी खपत वाले क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिमों का सक्रियता से जायजा ले रहा है।

I.18 मई 2021 में रिज़र्व बैंक में एक 2021 एक ‘सस्टेनेबल फ़ाइनैंस ग्रूप’ की स्थापना हुई जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करता है। यह समूह उपयुक्त पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) संबंधी प्रकटीकरण सहित एक विनियामकीय संरचना विकसित करने और रणनीतियां सुझाने में सहायक होगा, जो बैंकों और अन्य विनियमित इकाइयों (आरई) के लिए निर्धारित की जा सके ताकि भारतीय संदर्भ में जलवायु संबंधी जोखिमों को कम किया जा सके और सतत चलने वाली प्रथाओं का प्रचार हो। आगे चलकर, यह जलवायु परिवर्तन और दबाव परीक्षण के प्रणालीगत स्थिरता प्रभाव पर विशेष रूप से भारत से जुड़े विषयों का विश्लेषण करेगा।

I.19 जलवायु जोखिम प्रबंधन में आरई की प्रगति का जायजा लेने के लिए रिज़र्व बैंक एक परामर्शी चर्चा पत्र तैयार कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) अभिशासन (ii) रणनीति (iii) जोखिम प्रबंधन और (iv) प्रकटीकरण को कवर किया जाएगा। चर्चा पत्र आरई को इस बात के लिए जागरूक करेगा कि वे अपनी कारोबारी रणनीतियों के साथ-साथ अभिशासन और जोखिम प्रबंधन ढांचे में भी जलवायु और पर्यावरण संबंधी जोखिमों को शामिल करें। सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार, बैंकों को जलवायु-संबंधी जोखिमों के लिए एक भविष्योन्मुखी, व्यापक और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने हेतु मार्गदर्शन दिया जाएगा।

I.20 नवंबर 2021 में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी26) की जलवायु कार्रवाई के प्रति भारत ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इस संकल्प के अनुसार और एनजीएफएस के साथ एक्य प्रदर्शित करते हुए, रिज़र्व बैंक

ने भारत की वित्तीय प्रणाली के हरितकरण के समर्थन में एक वक्तव्य प्रकाशित किया। राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं, प्राथमिकताओं और भारतीय वित्तीय प्रणाली की जटिलता को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध हुआ (i) यह पता लगाने कि पर्यवेक्षित संस्थाओं के तुलन-पत्रों, कारोबारी मॉडलों में कमज़ोरियों तथा जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के आकलन और प्रबंधन की उनकी क्षमताओं में कमियों की पहचान करने में जलवायु परिवर्तन परिदृश्य विश्लेषण का उपयोग कैसे हो सकता है; (ii) वित्तीय स्थिरता निगरानी में जलवायु संबंधी जोखिमों के समावेश; और (iii) विनियमित वित्तीय संस्थाओं में जलवायु संबंधी जोखिमों के बारे में जागरूकता निर्माण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों और तद्नुसार उनसे निपटने के तरीकों के बारे में ज्ञान का प्रसार।

मुक्त (ओपन) बैंकिंग

I.21 मुक्त बैंकिंग संरचनाएं प्राधिकृत तृतीय पक्षों को ग्राहकों की सपष्ट सहमति से उनके डेटा तक अभिगम की अनुमति देती हैं। उपभोक्ताओं को सेवा एवं वित्तीय डेटा का सुविधाजनक अभिगम और वित्तीय संस्थाओं के लिए कुछ लागतों का युक्तिकरण इस संरचना के लाभ हैं। दूसरी ओर, डेटा निजता व संबंधी चिंताओं, ग्राहक शिकायत निवारण, साइबर सुरक्षा और परिचालनीय जोख़िमों, अनुपालन व विनियमन जोख़िमों पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है ताकि एक संरक्षित व सुरक्षित परितंत्र विकसित हो सके।

I.22 विनियामकों के परिप्रेक्ष्य से मुक्त बैंकिंग की शुरुआत के कई प्रकार के निहितार्थ हैं। भारत सहित कई अधिकार-क्षेत्रों में, बैंकों व अन्य विनियमित संस्थाओं के लिए आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं के लिए स्पष्ट नियम हैं। पर्यवेक्षकों के पास भी तृतीय-पक्ष संस्थाओं पर एक हद तक निगरानी का अधिकार है। मुक्त बैंकिंग में संबंधों के धागे यदि मौजूदा पर्यवेक्षी और विनियामकीय परिधि के पार जाते हैं, तो मानकों और विवेकपूर्ण नीतियों को लागू करना कठिन हो सकता है।

I.23 कुछ देशों के विपरीत, भारत ने एक ऐसी पद्धति अपनाई है जहाँ विनियामक और बाजार दोनों ने ओपन बैंकिंग स्पेस के विकास के लिए साथ काम किया है। भारत में, रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) जैसी भुगतान प्रणाली विकसित की तथा बैंकों और तृतीय पक्ष के ऐप प्रदाताओं (टीपीएपी) के लिए अपना एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) जारी किया जिस पर आगे कुछ बनाया जा सकता है। बाजार सहभागी भी नवोन्मेष को बढ़ा रहे हैं तथा कई बैंक अपना खुद का एपीआई जारी कर रहे हैं और फिनटेक कंपनियों के साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा, अपने विनिमायकीय परीक्षण स्थल (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) और रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (इनोवेशन हब) की शुरुआत के द्वारा रिज़र्व बैंक वित्तीय मध्यस्थता के नए अवसरों को दिशा दे रहा है।

I.24 साथ ही, ग्राहक निजता और डेटा संरक्षण पर जितना भी जोर दिया जाए कम है। आगे चलकर, इस प्रणाली की संरक्षा और सुरक्षा को लेकर ग्राहकों में भरोसा पैदा करने और कायम रखने के साथ नवोन्मेष को बढ़ावा देना ही चुनौती है।

डिजिटल ऋण

I.25 हाल की अवधि में, कई डिजिटल प्लेटफॉर्म सामने आए हैं जो ख़ुदरा व्यक्तियों, छोटे व्यापारियों और अन्य उधारकर्ताओं को झंझट-रहित ऋण देते हैं। बैंकों और एनबीएफसी ने भी अपने-अपने डिजिटल प्लेटफॉर्मों से सीधे अथवा आउटसोर्सस किए हुए प्लेटफॉर्मों से अप्रत्यक्ष रूप में ऋण देने की शुरुआत कर दी है। कई बड़े बहु-राष्ट्रीय निगमों (मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन्स) ने, जिनका प्राथमिक कारोबार प्रौद्योगिकी (ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया, भुगतान सक्षमकर्ता (पेमेंट इनेबलर्स) आदि) है जिनको बिग टेक के रूप में जाना जाता है, या तो सीधे ऋण देने की शुरुआत कर चुके हैं या विनियमित वित्तीय इकाइयों के साथ सहभागिता में। यहाँ तक कि पारंपरिक इकाई-आधारित विनियामक दृष्टिकोण का गतिविधि-आधारित विनियमों के साथ संवर्धन भी स्थिरता, अवसरों का समान धरातल, प्रतिस्पर्धा और ग्राहक संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त हो सकता है। वित्तीय सेवाओं

में डिजिटल माध्यमों का प्रयोग अच्छी पहल है तथापि, ऐसे प्रयासों से जुड़े हुए अधोमुखी जोखिमों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

I.26 डिजिटल ऋण में अनुचित तौर-तरीकों में हाल में हुई वृद्धि को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने डिजिटल ऋण पर एक कार्य दल का गठन किया था जिसने सुरक्षित डिजिटल ऋण परितंत्र विकसित करने हेतु अपनी सिफ़ारिशें दी हैं जैसे, किसी नोडल एजेंसी द्वारा डिजीटल ऋण के ऐप्स की सत्यापन प्रक्रिया स्थापित करना; एक स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) की स्थापना; अवैध डिजिटल ऋण गतिविधियों को रोकने के लिए एक अलग कानून का अधिनियमन; कुछ आधारभूत प्रौद्योगिकी (बेसलाइन टेक्नॉलॉजी) मानकों का विकास और डिजिटल ऋण समाधान देने के लिए पूर्व शर्त के रूप में उन मानकों का अनुपालन; सत्यापन योग्य लेखा परीक्षा चिह्नों (ऑडिट ट्रेल्स) के साथ स्पष्ट सहमति-आधारित डेटा संग्रह। आगे चलकर, एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है ताकि विनियामकीय संरचना ऐसी हो जो डेटा सुरक्षा, निजता, गोपनीयता और ग्राहक संरक्षण को सुनिश्चित करने के साथ-साथ नवोन्मेष को प्रोत्साहित करे।

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा

I.27 अपने आधारभूत रूप में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) भौतिक नकद का एक सुरक्षित, सुदृढ़ और सुविधाजनक विकल्प देती है। विभिन्न प्रकार के डिजाइन के चयन के अनुसार यह किसी वित्तीय उपकरण (फाइनैंशियल इन्स्ट्रूमेंट) का जटिल स्वरूप धारण कर सकती है। पैसे (मनी) के वर्तमान रूपों से तुलना से करें तो तरलता, वर्धनीयता, स्वीकृति, अनामिता के साथ लेन-देन की सुगमता और तीव्रतर निपटान के संदर्भ में इससे लाभ मिल सकते हैं। इस विषय में दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपनी शुरुआती पड़ताल के दौर से बाहर आकर अब इस पर विचार कर रहे हैं कि सीबीडीसी को कार्यान्वित कैसे किया जाए।

I.28 सीबीडीसी की शुरुआत के पहले इसकी डिजाइन के बारे में कुछ अहम प्रश्नों से गुजरने की जरूरत है, यथा क्या सीबीडीसी सामान्य उद्देश्य वाली होगी और खुदरा उपयोग (सीबीडीसी-आर) के लिए उपलब्ध रहेगी, या यह थोक उपयोग (सीबीडीसी-डब्ल्यू) के लिए होगी। आगे, भारत जैसे देश में, वितरण स्थापत्य, अर्थात् इस विषय पर कि, सीबीडीसी सीधे केंद्रीय बैंक द्वारा जारी होगी या वाणिज्य बैंकों द्वारा, सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। निर्गम/ वितरण का आकार जानने से तत्संबंधी उपयुक्त तकनीक के निर्धारण में सहायता मिलेगी जो इस प्रकार के परिचालनों को संभालने में सर्वाधिक उपयुक्त हो।

I.29 समष्टि-आर्थिक नीति निर्माण पर इसके गतिमान प्रभाव को देखते हुए, आवश्यक है कि प्रारंभ में आधारभूत मॉडलों को अपनाया जाए और व्यापक रूप से परख लिया जाए ताकि मौद्रिक नीति और बैंकिंग प्रणाली पर इनका प्रभाव न्यूनतम पड़े। भुगतान प्रणाली में भारत की प्रगति से इसके नागरिकों व वित्तीय संस्थाओं के लिए अत्याधुनिक सीबीडीसी उपलब्ध कराने का एक उपयोगी आधार मिलेगा।

भुगतान बैंक

I.30 समाज के अल्प-सेवा-प्राप्त वर्गों को प्रौद्योगिकी के सहारे मूलभूत बैंकिंग सेवा देने वाले भुगतान बैंकों (पीबी) पर नवोन्मेष का लगातार दबाव रहता है ताकि वे स्पर्धात्मकता बनाए रख सकें, विशेषत: बिग-टेक खिलाड़ियों के मुकाबले। इसलिए, उनके लिए परिचालन लागत व निवेश की जरूरतें बैंकिंग क्षेत्र के अन्य वर्गों की तुलना में अधिक हैं जिससे उनकी लाभप्रदता प्रभावित होती है।

I.31 धोखाधड़ियों और उनके कामकाज के बारे में शिकायतों को देखते हुए, पीबी को इन मामलों में चौकस होकर ग्राहकों की शिकायतें कुशलतापूर्वक दूर करनी होंगी। उनके पास कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) का एक बड़ा नेटवर्क है जो व्यापक भौगोलिक पहुँच और वित्तीय समावेश में सहायक है। तथापि, इस पर कड़ी निगरानी की जरूरत है ताकि डिजिटल लेनदेन में लोगों का निरंतर विश्वास बना रहे।

I.32 आगे चलकर, प्रौद्योगिकी से मजबूत और अंतर्बोधवान (इंट्यूटिव) यूज़र इंटरफेस का विकास उनके लिए चुनौतियों में से एक होगा जो नए ग्राहक वर्ग को अपनी ओर खींचे और बनाए

रख सके। दूसरी ओर, ग्राहकों की मात्रा में संभावित वृद्धि को देखते हुए सुरक्षा में एवं गड़बड़ियों के समय से समाधान में सावधानी आवश्यक है।

लघु वित्त बैंक

I.33 महामारी के पहले दौर में लघु वित्त बैंकों के प्राथमिक नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। पहले भी, यह क्षेत्र संरचनात्मक समस्याओं से ग्रस्त रहा है। कई एसएफबी के तुलन पत्रों के दोनों ओर संकेंद्रण जोख़िम है। देयताओं की ओर, उनके पास सीएएसए/ख़ुदरा सीएसए जमाराशियां कम हैं और वे सहकारी बैंकों से मिलने वाली थोक जमाराशियों और मीयादी जमाराशियों पर बहुत निर्भर हैं। आस्तियों की ओर, बेजमानती सूक्ष्मवित्त ऋण (माइक्रोफ़ाइनैंस लोन्स) का हिस्सा असंगत रूप से बड़ा है। अच्छे जोख़िम प्रबंध की दृष्टि से एसएफबी को अपनी आस्तियों व देयताओं की संरचनाओं में विविधता लाने की आवश्यकता है।

I.34 इन बैंकों की अभिशासन संस्कृति में सुधार की आवश्यकता है। उच्च पलायन स्तर (एट्रीशन लेवल) पर, विशेषत: शीर्ष वर्ग में, ध्यान देने की जरूरत है। बेहतर ग्राहक अनुभव और साइबर-सुरक्षा प्रत्यास्थता (रेज़िलिएंस) के लिए एसएफबी को अपनी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आधार-संरचना को भी मजबूत करने की आवश्यकता है।

सहकारी बैंक

I.35 महामारी की पहली लहर से भारत में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र तुलनात्मक रूप से सही-सलामत निकल आया, पर यह क्षेत्र संरचनागत मुद्दों से अभी भी ग्रसित है।

पूँजी संबंधी मामले

I.36 बैंकिंग रेग्यूलेशन अधिनियम, 1949 में संशोधन से रिज़र्व बैंक को सहकारी बैंकों द्वारा प्रदत्त शेयर पूँजी और प्रतिभूतियों के निर्गम के विनियमन का अधिकार मिला। संशोधन से सहकारी बैंकों को रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से इक्विटी शेयरों, प्रेफ़रेंस शेयरों, विशेष शेयरों, प्रतिभूति-रहित (अनसिक्योर्ड) डिबेंचरों और बॉण्डों जैसे उपकरणों (लिखतों/इनस्ट्रूमेंट्स) के माध्यम से पूँजी जुटाने का अधिकार मिला है। यह संशोधन सहकारी बैंकों के लिए प्रीमियम पर पूँजी जुटाने तथा पूँजी के लिए पब्लिक व प्राइवेट प्लेसमेंट माध्यमों का भी प्रावधान करता है।

I.37 उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने यूसीबी की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) और शेयर पूँजी के निर्गम व विनियमन संबंधी ड्राफ्ट दिशा-निर्देशों पर राय माँगी। ड्राफ्ट दिशा-निर्देशों में यूसीबी को अब तक की तरह इक्विटी शेयर पूँजी जुटाने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त, इनमें पूँजी जुटाने के उपकरणों (लिखत/इनस्ट्रूमेंट) से संबंधित दिशा-निर्देश हैं जिनमें वर्तमान सांविधिक प्रावधानों से सामंजस्य की दृष्टि से आवश्यकतानुसार उपयुक्त संशोधन किया गया है। ड्राफ्ट दिशा-निर्देशों में आगे, विवेक सम्मत मानदंड बताए गए हैं जिनके आधार पर यूसीबी अपने शेयरहोल्डरों को शेयर पूँजी का मूल्य वापस (रिफ़ंड) कर सकते हैं। तथापि, प्रीमियम पर पूँजी जुटाने तथा यूसीबी द्वारा जारी प्रतिभूतियों के पब्लिक इस्यू व प्राइवेट प्लेसमेंट के मुद्दों को और भी जाँचने-परखने की जरूरत है।

राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) के साथ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) का समामेलन

I.38 बैंकिंग रेग्यूलेशन अधिनियम (संशोधन), 2020 के प्रावधानों में विस्तार के साथ, डीसीसीबी के अपने तत्संबंधी एसटीसीबी के साथ समामेलन संबंधी नियमों को समरूप किया गया है, अपने राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियमों में उनके लिए जो भी प्रावधान हों। इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक ने मई 2021 में दिशा-निर्देश जारी किए जिनमें अपेक्षाओं एवं सांकेतिक मानकों/स्थितियों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

I.39 तथापि, सांविधिक तौर पर ग्रामीण अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना में राज्य सरकारों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। किसी सहकारी समिति को केंद्रीय सहकारी बैंक घोषित करने का कानूनी अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। एसटीसीबी के साथ डीसीसीबी के समामेलन के प्रस्ताव की शुरुआत संबंधित राज्य सरकार द्वारा स्वेच्छा से की जानी है।

रिज़र्व बैंक सामान्यत: उन मामलों में संबंधित राज्य सरकारों से पूँजी डालने की प्रतिबद्धता चाहता है, जहाँ समामेलन के बाद सीआरएआर के विनियामकीय अपेक्षाओं से नीचे आने की संभावना है। कई राज्य सरकारों की राजकोषीय असुविधाओं को देखते हुए, विशेषत: महामारी के बाद, जरूरत पड़ने पर पूँजी लगाने की उनकी क्षमता गंभीर रूप से सीमित है।

एनबीएफसी क्षेत्र

I.40 पहली लहर के दौरान महामारी ने एनबीएफसी क्षेत्र को बड़ी चुनौतियां पेश कीं। विभिन्न नीतिगत कार्रवाइयों की सहायता से एनबीएफसी यथोचित तुलन-पत्र वृद्धि (बैलेंस शीट ग्रोथ), बढ़ी हुई ऋण मध्यस्थता, उच्चतर पूँजी और अल्पतर चूक अनुपात के साथ पहले से अधिक मजबूत होकर निकले हैं। तथापि, एसएमए संबंधी अद्यतन डेटा, बताता है कि 2021-22 में अब तक संभावित एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। वित्तीय परितंत्र में एनबीएफसी के बढ़ते महत्त्व को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने इस क्षेत्र पर विनियामकीय निगरानी बढ़ाने के लिए अक्टूबर 2022 से मान-आधारित (स्केल बेस्ड) विनियमन लागू किया है। पुन:, जैसे-जैसे डिजिटल ऋण को ग्राहकों द्वारा अपनाए जाने की गति बढ़ती है, एनबीएफसी को साइबर फ्रॉड रोकथाम के लिए बेहतर लैस और केंद्रित होना होगा। आगे चलकर, जब नीतिगत कार्रवाइयों को समेटा जाएगा, इस क्षेत्र को उच्चतर चूक का समना करना पड़ सकता है।

सूक्ष्म वित्त संस्थाएं

I.41 विगत दशक में, समग्र सूक्ष्म/व्यष्टि वित्त (माइक्रोफ़ाइनैंस) क्षेत्र में एनबीएफसी-एमएफआई का हिस्सा घटकर मार्च 2021 के अंत में 30 प्रतिशत से कुछ अधिक रह गया है। तथापि, एनबीएफसी-एमएफआई के लिए 2011 से लागू वर्तमान ग्राहक संरक्षण उपाय अन्य उधारदाताओं पर लागू नहीं हैं। जून 2021 में रिज़र्व बैंक ने एक परामर्शी दस्तावेज जारीकर अपने विनियमन के अंतर्गत माइक्रोफ़ाइनैंस उधारदाताओं के लिए एक समरूप विनियामकीय संरचना का प्रस्ताव रखा। प्रस्तावित संरचना में व्यष्टि वित्त (माइक्रोफ़ाइनैंस) क्षेत्र में कार्यकलाप-आधारित विनियमन की शुरुआत, अति ऋण-ग्रस्तता से छोटे उधारकर्ताओं के बचाव, ग्राहक संरक्षण उपायों में वृद्धि तथा जानकारी के आधार पर निर्णय लेने हेतु उधारकर्ताओं को अधिकार देकर ब्याज दरों को नीचे लाने के लिए स्पर्धात्मक शक्तियों को सक्षम करने की बात है।

I.42 संक्षेप में, भारतीय वित्तीय क्षेत्र निर्णायक मोड़ पर है: कोविड-19 के परिणाम का तत्काल प्रभाव जहाँ अल्पावधि पर हावी रहेगा, वहीं जलवायु परिवर्तन और तकनीकी नवोन्मेष से जुड़ी वृहत्तर चुनौतियों के लिए एक सुविचारित रणनीति की आवश्यकता होगी। अपने विनियामकीय व पर्यवेक्षीय कदमों से रिज़र्व बैंक का प्रयास रहेगा कि एक सुरक्षित, दृढ़ व स्पर्धात्मक वित्तीय प्रणाली सुनिश्चित की जाए।